पत्र आदेशिका

(नियम 26)

अज अदालत— राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

दामोदर बनाम रमेश

अपील संख्या 86/18 अन्तर्गत धारा 223 आर टी एक्ट GCMS NO 2018/00093

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.6.25	उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण की वहस अपील पर सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण ने प्रकरण मे लोक अदालत की भावना से राजीनामा प्रस्तुत किया है। जिसमे एक दुसरे की पहचान कराई गई। दोनो पक्षो के अधिवक्तागण द्वारा पहचान की गई। प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 के पिता रामविलास पुत्र जगन्या जाति ब्राहम्ण निवासी दुब्बी जिला सवाई माधोपुर ने अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती ,इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर आराजी खसरा न0 908,985,914,1001,1033 वाके ग्राम दुब्बी विदरखा की खातेदारी मुससम्मात फौदी का नाम हजफ करते हुए 1/2 भाग की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करने एवं नामा0 संख्या 1 दिनांक 15.6.91 को निरस्त करने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की इस्तदुआ चाही गई थी। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा लोक अदालत की भावना से राजीनामा इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि आराजी ख0न0 814 रकबा 0.10 है0 मे से 1/2 भाग रेस्पो0 के नाम दर्ज है तथा 1/2 भाग कजोड पुत्र नाथू नाई के नाम दर्ज है। हम रेस्पो0 के नाम दर्ज कुल 1/2 भाग को अपीलांट दामोदर,कमलेश,राजेन्द्र को खातेदार घोषित कर 1/2 भाग इनके नाम दर्ज किये जाने मे हमे कोई आपत्ति नही है। बजरंगा पुत्र जगन्या ,दुर्गा देवी पत्नि प्रभूलाल एवं रेखा पुत्री रामविलास की मृत्यु हो चुकी है। अतः बरूये राजीनामा अपील का फैसला किया जाकर आराजी ख0न0 814 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम दुब्बी विदरखा मे हम रेस्पो0 के [illegible] 1/2 भाग का खातेदार अपीलांटगण दामोदर,क[illegible] जाकर उनके नाम खातेदारी दर्ज की जावे। प्रस्तुत राजीनामे पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। प्रस्तुत राजीनामे पर उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा सहमति दर्ज की गई है। अतः आपसी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)
अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

सहमति से प्रस्तुत राजीनामा लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर आराजी ख0न0 814 रकबा 0.10 है वाके ग्राम दुब्बी बिदरखा मे रेस्पो0 के नाम दर्ज 1/2 भाग की भूमि को हजफ किया जाकर आराजी ख0न0 814 रकबा 0.10 है0 के 1/2 भाग की खातेदारी अपीलांट दामोदर,कमलेश,राजेन्द्र को घोषित किया जाता है।

निर्णय एवं राजीनामे की प्रति तहसीलदार सवाई माधोपुर को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी ख0न0 814 रकबा 0.10 है0 मे 1/2 भाग जो वर्तमान मे रेस्पो0 के नाम दर्ज है उसमे यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो, तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:08 IST
Reason: SelfAttested